वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)
Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University
(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)
Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

Research Incentive Scheme

विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मे वर्तमान में 06 परिसर संस्थानों के साथ–साथ बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, फॉर्मेसी, मैनेजमेण्ट, लॉ, आर्किटैक्चर एवं होटल मैनेजमेण्ट आदि में बड़ी संख्या में शिक्षक सम्बद्ध संस्थानों में अध्यापन करा रहे हैं।

ऐसा महसूस किया गया है कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को गति प्रदान करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने आवश्यक है। देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में वहां पर कार्यरत शिक्षकों व छात्रों में शोध को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते है।

इस क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा समग्रता से शोध कार्यों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की दिनांक 04.01.2024 को सम्पन्न 16वीं बैठक के अनुमोदनोंपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर शोध प्रोत्साहन योजना (Research Incentive Scheme) स्थापित की गई है।

1. SCI Unpaid Journals में विश्वविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित शोध पत्र हेतु प्रथम लेखक (First Author) को रू0 5000/–, द्वितीय लेखक (Second Author) को रू0 4000/– प्रति शोध पत्र दिया जाये। दो से अधिक लेखक (Author) होने की दशा में प्रथम लेखक के बाद द्वितीय लेखक हेतु अनुमन्य प्रोत्साहन धनराशि को समस्त लेखकों में द्वितीय लेखक सहित बराबर–बराबर वितरित कर दिया जाये।

2. राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय के नाम के साथ पैटेंट अवॉर्ड होने की दशा में वैध पैटेंट धारकों को रू0 10000/– प्रति पैटेंट की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाये। यह धनराशि समस्त पैटेंट धारकों के मध्य बराबर–बराबर वितरित की जायेगी।

उक्त दोनों प्रोत्साहन धनराशियों हेतु प्रतिबन्ध यह है कि सन्दर्भित शोध कार्य विश्वविद्यालय के सम्बद्ध/ परिसर संस्थान में हुआ हो तथा विश्वविद्यालय का नाम शोध पत्र/पैटेंट में होना अनिवार्य है। प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त करने हेतु अर्ह नियमित शिक्षकों व छात्रों को अपने संस्थान के निदेशक/ प्रधानाचार्य के माध्यम से संस्तुति सहित समस्त विवरण देते हुये प्रकाशन के एक माह के भीतर आवेदन करना होगा। अन्यथा की दशा में प्रोत्साहन धनराशि देय नही होगी।